राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

राजीव गांधी विधा भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन न. 0141–5110451 फैक्स नं. 0141–2701822

क्रमांक : राज.स्कुल शि.प./जय/बा.छा/2018–19 3765 दिनांक : 19/7/18

1. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले (सीकर एवं झुन्झनू को छोड़कर)
2. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. एवं जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले
3. नोडल प्रधानाचार्य,सम्बन्धित जिले समस्त शारदे बालिका छात्रावास
4. समस्त प्रधानाध्यापक के.जी.बी,विद्यालय,समस्त जिले

विषयः– शारदे बालिका छात्रावास के नोडल विद्यालयों एवं के.जी.बी. विद्यालयों द्वारा 80 G प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्यभर में 186 शारदे बालिका छात्रावास है एवं 200 के.जी.बी. विद्यालय संचालित हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बी.पी.एल एवं अल्पंसख्यक तथा जिनके माता–पिता नहीं है, वे बालिकाएं अध्ययनरत है। इन बालिकाओं को समस्त प्रकार की आवासीय सुविधायें राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। हमारी संस्कृति के अनुसार बालिकायें/मातृशक्ति हमेशा ही पूजनीय रही है। राजस्थान का भौगोलिक परिवेश विस्तृत होने के कारण अनेक प्रकार की अन्य सुविधाओं की उपलब्धता प्राप्त निश्चित राशि में संभव नहीं हो पाती है। अतः सामुदायिक भागीदारी के लिए निम्न कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें :–

1. एसडीएमसी/एसएमसी का रजिस्ट्रशन करवाये।
2. नोडल विद्यालय की एसडीएमसी/एसएमसी का पेन कार्ड बनवायें।
3. जिनका पेन कार्ड बना हुआ है उनके द्वारा 80 G के लिये आवेदन किया जाये।
4. आगामी 2 माह में सभी शारदे बालिका छात्रावासों के नोडल विद्यालयों एवं के.जी.बी.वी. द्वारा 80 G का प्रमाण–पत्र प्राप्त होना सुनिश्चित करावें

80 G प्रमाण–पत्र धारक विद्यालयों में ज्ञान संकल्प पोर्टल के द्वारा दानदाताओं द्वारा सीधे ही दान किया जा सकेगा। दानदाताओं को 80 G का लाभ भी प्राप्त हो जायेगा। इस माध्यम से प्राप्त राशि का उपयोग शारदे बालिका छात्रावासों एवं के.जी.बी.वि. में विभिन्न प्रकार की भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता संभव हो सकेगी। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करावें तथा शाला दर्पण एवं शाला दर्शन पर सूचना अपडेट करें।

संलग्न :– 80 G प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया।
नोटः– यह शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन पर भी उपलब्ध है।

www.rajteachers.com

(सुरेश चन्द्र)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1 निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2 निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
3 निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
4 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा/एसएसए
5 रक्षित पत्रावली।
5 q|Fa q-*rq-ft

उपायुक्त, बालिका शिक्षा

80G के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रक्रिया

↓

80G के रजिस्ट्रेशन के साथ-2 12AA का रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जो की 80G प्राप्त करने के लिए आवश्यक है इसके लिए केवल आपको 10 A फॉर्म की पूर्ति कर 80G की फाइल के साथ आयकर विभाग को संलग्न करना है।

80G के रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्य बिंदु

- SDMC का रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना
- SDMC का PAN कार्ड प्राप्त करना
- 80G के लिए आगे बताये पूर्ण दस्तावेजो की पूर्ति के साथ आयकर (छूट) आयुक्त ऑफिस, कैलाश टावर, टोंक रोड, जयपुर को आवेदन करे।

- Avinash choudhary (programme officer)
- Shaala Darpan cell, Jaipur.

नोट:- अगर आपने 80G फॉर्म मूल रूप से(speed post या व्यक्तिगत रूप से जमा) income tax ऑफिस में जामा करवाया हो तो ही शाला दर्पण पर आवेदन कि स्तिथि में हाँ भरे।

12AA और 80G के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- 1. 12AA के रजिस्ट्रेशन के लिए 10A फॉर्म भर संलग्न करे। (प्रति आगे संलग्न है)
- 2. 80G के रजिस्ट्रेशन के लिए 10G भर संलग्न करे। (प्रति आगे संलग्न है)
- 3. SDMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करे।
- 4. SDMC के PAN कार्ड की प्रति संलग्न करे। (जो PAN कार्ड आपने संस्था के लिए बनाया है उसका 80 G के तहत छूट प्राप्ति के लिए JURIDICTION/क्षेत्र अधिकार सम्बंधित जिले के ITO(AO) EXEMPTION का ही होना चाहिए।)
- 5. संस्था के सम्पूर्ण constitution / bye-laws (विधान) की प्रमाणित प्रति संलग्न करे।
- 6. अधिकतम गत तीन वर्षो की SDMC रोकड़ की AUDIT की कॉपी या फिर संस्था के अस्तित्व में आने के वर्ष से SDMC रोकड़ की AUDIT की कॉपी संलग्न करे।
- 7.अधिकतम गत तीन वर्षो के SDMC द्वारा किये गए कल्याण कार्यो का विस्तृत प्रतिवेदन(साधे कागज पर) या फिर संस्था के अस्तित्व में आने के वर्ष से संलग्न करे। (नमूना प्रतिवेदन देखने केलिए क्लिक करे।) CLICK HERE
- 8. समिति के सभी सदस्यों के ID proof (आधार ,वोटर कार्ड,ड्राइविंग लाइसेन्स,पैन आदि) की स्व: प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करे
- 9. विभाग द्वारा SDMC गठन हेतु विद्यालयों को दिए गए आदेश की प्रति संलग्न करे (आदेश की प्रति हेतु क्लिक करे।) CLICK HERE

नोट :- सभी उक्त दस्तावेज आयकर विभाग को कवरिंग लैटर के साथ स्व: प्रमाणित तीन सेट में उपलब्ध करवाए जाने है।

The validity period of the registration of 12AA and 80G

12AA registration: Lifetime validity
80G registration: Lifetime validity

Common errors during filling up the form

- 1. नाम की समानता :-PAN card, SDMC certificate, Bank account और 10A व 10G form भरते समय समिति का नाम सभी में एक समान होना चाहिए।
- 2. PAN कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय फॉर्म में 80G छूट हेतु AO के कॉलम में सम्बंधित जिले के ITO Exempt Assessing officer का ही चयन किया जाना होता है। (AO की सूची सलग्न है इसके अनूसार ही 80G छूट हेतु PAN card के लिए आवेदन करे) एवं पूर्व में किसी ने 80G छूट के तहत AO-ITO exempt का चयन नहीं किया हो तो PAN No. को सम्बंधित ITO के लिए ट्रान्सफर कराना होगा। इसके लिए वर्तमान ITO को साधे कागज पर प्रार्थना पत्र लिख उसकी एक कॉपी आयकर आयुक्त (छूट) जयपुर को भी प्रेषित करे।
- 3. नाम, हस्ताक्षर आदि से सम्बंधित फॉर्म में कोई भी रिक्तियां नहीं होने चाहिए।
- 4.समिति का पूर्ण विधान सलंग्न होना चाहिए जिसमे dissolution clause आदि का उल्लेख हो एवं संस्था के सभी उद्देश्य शैक्षणिक होने चाहिए। इसमे किसी भी प्रकार के लाभ के उद्देश्य नही हो और फीस ,शुल्क जैसे शब्द का प्रयोग न हो। (संस्था के उद्देश्य किस प्रकार के हो, के लिए सूची सलंग्न है।)
- 5 . SDMC पंजीयन के उपरांत की गई गतिविधि का प्रतिवेदन आवश्यक रूप से संलग्न करे।
- 6 . 80G के लिए केवल 10A फॉर्म भर संलग्न कर देते है जबकि 12AA के लिए 10A फॉर्म भरते ही नहीं है।

80G छूट के तहत PAN कार्ड अप्लाई करते समय सम्बंधित AO ऑफिसर के सही चयन के लिए सूची

District	Assessing Officer	Assessing Officer Code
Jaipur	ITO Ward(E)-1, Jaipur	DLC/WX/295/1
Tonk		
Sikar	ITO Ward (E)-2, Jaipur	DLC/WX/295/2
Jhunjhunu		
Churu		
Alwar	ITO (E)- Ward Alwar	DLC/WX/295/4
Bhartpur		
Dausa		
Dholpur		
Kota	ITO (E)- Ward Kota	DLC/WX/295/3
Bundi		
Baran		
Jhalawar		
Swai Madhupar		
Karoli		
Jodhpur	ITO (E)- Ward Jodhpur	DLC/WX/296/1
Jalore		
Jaisalmer		
Barmer		
Pali		
Nagaur		
Sirohi		
Bikaner	ITO (E)- Ward Bikaner	DLC/WX/296/2
Hanumangarh		
Shri Ganganagar		
Udaipur	ITO (E)- Ward Udaipur	DLC/WX/296/3
Rajsamand		
Chitodgarh		
Pratapgargh		
Dungarpur		
Banswara		
Ajmer	ITO (E)- Ward Ajmer	DLC/WX/296/4
Bhilwara		

पहलेसेबने PAN कार्ड के ITO JURIDICTION देखने के लिए नीचे CLICK करे।

नोट:- येविडिओ विद्यालय डैशबोर्डके विडिओ GALLERY मेंउपलब्ध है

CLICK HERE

PAN कार्ड के लिए ऑनलाइन भरे जाने वाले फॉर्म का प्रारूप

AO के लिए भरे जाने वाला कॉलम

Only 'Individuals' to affix recent photograph (3.5 cm x 2.5 cm)

Sign / Left Thumb impression across this photo

Form No. 49A

Application for Allotment of Permanent Account Number

[In the case of Indian Citizens/Indian Companies/Entities incorporated in India/ Unincorporated entities formed in India]

See Rule 114

To avoid mistake (s), please follow the accompanying instructions and examples before filling up the form

Only 'Individuals' to affix recent photograph (3.5 cm x 2.5 cm)

Assessing officer (AO code)

Area code	AO type	Range code	AO No.

Signature / Left Thumb Impression

Sir,

I/We hereby request that a permanent account number be allotted to me/us.

I/We give below necessary particulars:

1 Full Name (Full expanded name to be mentioned as appearing in proof of identity/date of birth/address documents: initials are not permitted)

Please select title, ✓ as applicable ☐ Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

2 Abbreviations of the above name, as you would like it, to be printed on the PAN card

3 Have you ever been known by any other name? ☐ Yes ☐ No **(please tick as applicable)**

If yes, please give that other name

Please select title, ✓ as applicable ☐ Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

4 Gender (for Individual applicants only) ☐ Male ☐ Female **(please tick as applicable)**

5 Date of Birth/Incorporation/Agreement/Partnership or Trust Deed/ Formation of Body of individuals or Association of Persons

Day Month Year

6 Details of Parents (applicable only for individual applicants)

Father's Name (Mandatory. Even married women should fill in father's name only)

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

Mother's Name (optional)

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

Select the name of either father or mother which you may like to be printed on PAN card (Select one only)

(In case no option is provided then PAN card will be issued with father's name)

☐ Father's name ☐ Mother's name *(Please tick as applicable)*

7 Address

Residence Address

Flat / Room / Door / Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory Pincode / Zip code Country Name

Office Address

Name of office

Flat / Room / Door / Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory Pincode / Zip code Country Name

8 Address for Communication ☐ Residence ☐ Office **(Please tick as applicable)**

9 Telephone Number & Email ID details

Country code Area/STD Code Telephone / Mobile number

Email ID

10 Status of applicant

Please select status, ✓ as applicable

☐ Government ☐ Individual ☐ Hindu undivided family ☐ Company ☐ Partnership Firm ☐ Association of Persons ☐ Trusts ☐ Body of Individuals ☐ Local Authority ☐ Artificial Juridical Persons ☐ Limited Liability Partnership

11 Registration Number (for company, firms, LLPs etc.)

12 In case of a person, who is required to quote Aadhar number or the Enrolment ID of Aadhar application form as per section 139 AA

Please mention your AADHAAR number (if allotted)

If AADHAAR number is not allotted, please mention the enrolment ID of Aadhaar application form

Name as per AADHAAR letter or card or as per the Enrolment ID of Aadhaar application form

13 Source of Income *Please select, ✓ as applicable*

☐ Salary ☐ Capital Gains

☐ Income from Business / Profession Business/Profession code [For Code: Refer instructions] ☐ Income from Other sources

☐ Income from House property ☐ No income

14 Representative Assessee (RA)

Full name, address of the Representative Assessee, who is assessible under the Income Tax Act in respect of the person, whose particulars have been given in the column 1-13.

Full Name (Full expanded name : initials are not permitted)

Please select title, ✓ as applicable ☐ Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

Address

Flat / Room / Door / Block No.

Name of Premises / Building / Village

Road / Street / Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory Pincode

15 Documents submitted as Proof of Identity (POI), Proof of Address (POA) and Proof of Date of Birth (POB)

I/We have enclosed ______ as proof of identity, ______ as proof of address and ______ as proof of date of birth.

[Please refer to the instructions (as specified in Rule 114 of I.T. Rules, 1962) for list of mandatory certified documents to be submitted as applicable]

[Annexure A, Annexure B & Annexure C are to be used wherever applicable]

16 I/We ______ the applicant, in the capacity of ______ do hereby declare that what is stated above is true to the best of my/our information and belief.

Place :

Date : D D M M Y Y Y Y

Signature / Left Thumb Impression of Applicant (inside the box)

12 AA के लिए भरे जाने वाले 10A फॉर्म की कॉपी

FORM NO.10A

[*See* rule 17A]

Application for registration of charitable or religious trust or institution under[2] [clause (aa) of sub-section (1) of section 12A] of the Income-tax Act, 1961

To

The Commissioner of Income-tax,

____

Sir,

I, __________________, on behalf of ____________________________ hereby apply for the
[Name of the trust or institution]
registration of the said trust/institution under section 12A of the Income-tax Act, 1961. The following particulars are furnished herewith:

1. Name of the trust/institution in full [in block letters] ________________________
2. Permanent Account Number ________________________
3. Address of the trust / Institution ________________________
4. Name(s) and address(es) of author(s)/founder(s) ________________________
5. Date of creation of the trust or establishment of the institution ________________________
6. Name(s) and address(es) of trustee(s)/manager(s) ________________________

I also enclosed the following documents:

1.(a) Original/Certified copy of the instrument under which the trust/institution was created/established, together with a copy thereof.

(b) Original/Certified copy of document evidencing the creation of the trust or the establishment of the institution, together with a copy thereof. [The originals, if enclosed, will be returned].

2. Two copies of the accounts of the trust/institution for the latest one/two/three years. I undertake to communicate forthwith any alteration in the terms of the trust, or in the rules governing the institution, made at any time hereafter.

Date ....

....
Signature

....
Designation

....
Address

Strike out whichever is not applicable

80G के लिए भरे जाने वाले 10G फॉर्म की कॉपी

FORM NO. 10G

[*See* rule 11AA]

Application for grant of approval or continuance thereof to institution or fund under section 80G(5)(vi) of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the institution/fund in full (in block letters)

2. Address of the registered office of the institution/fund

3. Legal status [please specify whether the institution/fund is-
   (i) constituted as public charitable trust;
   (ii) registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any law corresponding to that Act in force in any part of India;
   (iii) registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
   (iv) a University established by law;
   (v) any other educational institution recognised by the Government or by any University established by law or affiliated to any University established by law;
   (vi) an institution wholly or partly financed by the Government or a local authority;
   (vii) an institution established with the object of controlling, supervising, regulating or encouraging games or sports and is approved for this purpose under section 10(23); or
   (viii) a Regimental Fund or Non-Public Fund established by the armed forces of the Union for the welfare of past or present members of such forces or their dependants.]

4. Objects of the institution/fund and geographical area over which its activities are undertaken

5. Names and addresses of trustees/office bearers of the institution or fund

6. (i) If registered under section 12A(a) of the Income-tax Act, the registration number and date of registration
   (ii) If notified under section 10(23) or under section 10(23C) of the Income-tax Act, the details thereof
   (iii) If responses to (i) & (ii) are negative, whether any application for the same has been filed? If yes, enclose a copy of the same.

7. (a) Period of last approval, if any. Please enclose a copy of the approval
   (b) If any change in the aims and objects and the rules and regulations have been made since the last approval, the details thereof

8. Assessment particulars-
   (a) Ward/Circle where assessed and permanent account number/GIR number
   (b) Is the income exempt under section 10(22), 10(22A), 10(23), 10(23AA), 10(23C) or 11?
   (c) Whether any arrears of taxes are outstanding? If so, give reasons

9. Amount accumulated for the purposes mentioned in item (4) above

10. (i) Details of modes in which the funds are invested or deposited, showing the nature, value and income from the investment;
    (ii) Whether any funds have not been invested in the modes specified in section 11(5)?

11. (i) Is the institution/fund carrying on any business? If yes, give details
    (ii) Is the business incidental to the attainment of its objects?

12. Details of nature, quantity and value of contributions (other than cash) and the manner in which such contributions have been utilised.

13. Details of shares, security or other property purchased by or on behalf of the trust from any interested person as specified in sub-section (3) of section 13.

14. Whether any part of the income or any property of the association was used or applied in a manner which results directly or indirectly in conferring any benefit, amenity or perquisite (whether converted into money or not), on any interested person as specified in sub-section (3) of section 13? If so, details thereof.

I certify that information furnished above is true to the best of my knowledge and belief. I undertake to communicate forthwith any alteration in the terms or in the rules governing the institution/fund made at any time hereafter.

Place

Date_______________________.

Signature

Designation

Address

Notes : The application form (in triplicate) should be sent to the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the institution or fund along with the following documents :

(i) Copy of registration granted under section 12A or copy of notification issued under section 10(23) or section 10(23C).

(ii) Notes on activities of institution or fund since its inception or during the last three years, whichever is less.

(iii) Copies of accounts of the institution or fund since its inception or during the last three years, whichever is less.

संस्था के उद्देश्य किस प्रकार के हो, के लिए सूची

उद्देश्य–

1. विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु विकास कार्य एवं केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड–डे मील आदि को जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित करना।
2. विद्यालय के विकास हेतु एक विकास कोष बनवाना जिससे कि उक्त विद्यालय के भवन, उपस्कर एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाओं से संबंधित विकास कार्य किये जा सकें।
3. विद्यालय के विस्तार व अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की जनसहभागिता आधारित योजनाओं से विकास कोष में योगदान करवाकर विद्यालय में उपरोक्त विकास कार्य करना।
4. विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों सामान्य जनों व अन्य दान दाताओं से आर्थिक सहायता/दान प्राप्त कर उपरोक्त विकास कार्य कराना।
5. Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत कार्पोरेट क्षेत्र से वित्तीय सहायता प्राप्त कर विद्यालय में उपरोक्त विकास कार्य करवाना।
6. अन्य उद्देश्य जिससे कि संस्था की परिसम्पतियों का बेहतर उपयोग हो सकें।

नोटः- संस्था उद्देश्यों में किसी भी प्रकार के लाभ के उद्देश्य समाहित ना हो।

विघटन (Dissolution) उपबंद

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :–	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :– 1–अध्यक्ष............................रु. 2–मन्त्री............................रु. 3–कोषाध्यक्ष............................रु. उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।
18. संस्था का अंकेक्षण :–	संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।
19. संस्था के विधान में परिवर्तन :–	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
20. संस्था का विघटन :–	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :–	रजिस्ट्रार संस्थाएं .... को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

विघटन (Dissolution) उपबंद

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली).. समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

20

अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

Back

SDMC कार्यो के वार्षिक नमूना प्रतिवेदन

नोट :-इसी प्रकार अधिकतम तीन वर्षो का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर संलग्न करे

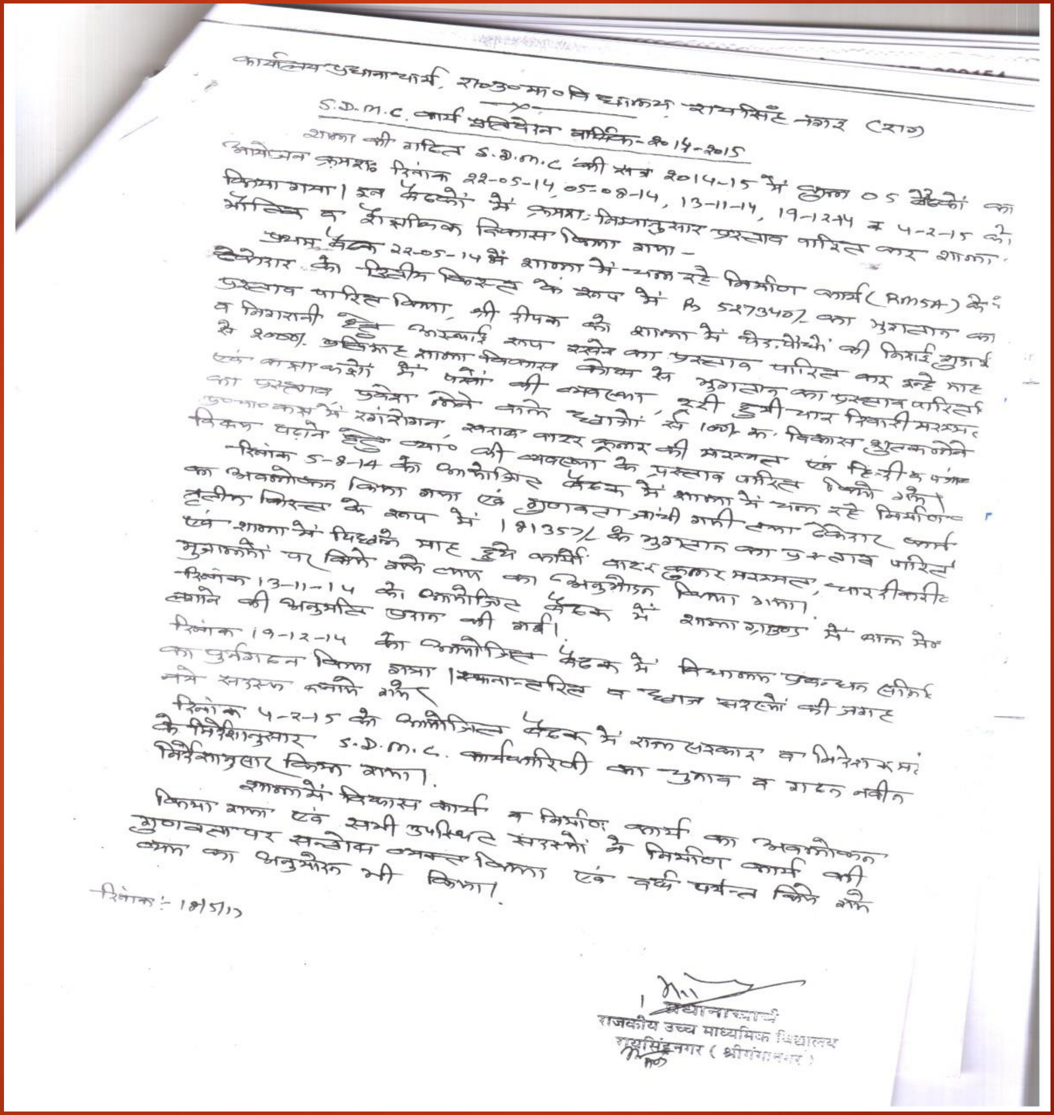

कार्यालय प्रधानाचार्य, रा०उ०मा०वि० विद्यालय रायसिंह नगर (राज)

S.D.M.C. कार्य प्रतिवेदन वार्षिक-2014-2015

शाला की गठित S.D.M.C. की सत्र 2014-15 में कुल 05 बैठकों का आयोजन क्रमशः दिनांक 22-05-14, 05-08-14, 13-11-14, 19-12-14 व 4-2-15 को किया गया। इन बैठकों में क्रमशः निम्नानुसार प्रस्ताव पारित कर शाला भौतिक व शैक्षिक विकास किया गया -

प्रथम बैठक 22-05-14 में शाला में चल रहे निर्माण कार्य (RMSA) के ठेकेदार को द्वितीय किस्त के रूप में Rs 527340/- का भुगतान का प्रस्ताव पारित किया, श्री दीपक को शाला में पेड़-पौधों की सिंचाई, गुड़ाई व निगरानी हेतु अस्थाई रूप रखने का प्रस्ताव पारित कर इन्हें माह से 2000/- प्रतिमाह शाला विकास कोष से भुगतान का प्रस्ताव पारित एवं कक्षा-कक्षों में पंखों की व्यवस्था, दरी, कुर्सी, चारदीवारी मरम्मत का प्रस्ताव, प्रवेश लेने वाले छात्रों से 100/- रु. विकास शुल्क लेने, प्रधानाध्यापक कक्ष में रंगरोगन, स्टाफ वाटर कूलर की मरम्मत एवं हिन्दी व पंजाबी विषय पढ़ाने हेतु व्या० की व्यवस्था के प्रस्ताव पारित किये गये।

दिनांक 5-8-14 को आयोजित बैठक में शाला में चल रहे निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया एवं गुणवत्ता जांची गयी तथा ठेकेदार को तृतीय किस्त के रूप में 181357/- के भुगतान का प्रस्ताव पारित एवं शाला में पिछले माह हुये कार्यों वाटर कूलर मरम्मत, चारदीवारी मुआवजों पर किये गये व्यय का अनुमोदन किया गया।

दिनांक 13-11-14 को आयोजित बैठक में शाला ग्राउण्ड में बाल मेला लगाने की अनुमति प्रदान की गई।

दिनांक 19-12-14 को आयोजित बैठक में विद्यालय प्रबन्धन समिति का पुनर्गठन किया गया। स्थानान्तरित व छात्र सदस्यों की जगह नये सदस्य बनाये गये।

दिनांक 4-2-15 को आयोजित बैठक में राज्य सरकार व निदेशक महो. के निर्देशानुसार S.D.M.C. कार्यकारिणी का चुनाव व गठन नवीन निर्देशानुसार किया गया।

शाला में विकास कार्य व निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया एवं सभी उपस्थित सदस्यों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सन्तोष व्यक्त किया एवं वर्ष पर्यन्त किये गये व्यय का अनुमोदन भी किया।

दिनांक :- 18/5/15

प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)

Back

"विद्यालय विकास एवं प्रबधन समिति" के गठन के विभागीयआदेश कि प्रति

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/एस.एम.सी./2016/112 दिनांकः 03.11.16

1. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक – प्रथम/द्वितीय

विषय :– विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम 80जी के तहत छूट प्राप्त करने हेतु पंजीयन, आयकर विभाग में पंजीयन करवाने बाबत।

प्रसंग :– संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर का पत्रांकः प. 21 (16) प्राशि/आयो/एस.एम.सी./2016 पार्ट जयपुर, दिनांकः 19.10.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा सभी राजकीय विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) गठित कर पंजीयन सहकारी समिति अधिनियम 1958 के अन्तर्गत करने के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों की पालना में अधिकाश राजकीय विद्यालयों में उक्त समितियों का पंजीयन हो चुका है।

विद्यालयों के विकास हेतु दानदाताओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा चन्दा आदि प्राप्त किया जाता है। इस दान राशि पर आयकर अधिनियम–1961 की धारा 80जी के तहत छूट प्राप्त करने हेतु सभी विद्यालय विकास समितियों (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समितियों (SDMC) का आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत आयकर विभाग में पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। इस हेतु आयकर विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश की प्रति परिशिष्ट–A, स्थाई खाता संख्या (PAN) जारी करने हेतु आवेदन पत्र फार्म संख्या 49-- A परिशिष्ट– B, फार्म संख्या–10–A Application Form registration of charitable of or religious trust of institution under section 12-A (a) of the income tax Act, 1961-Annexure-c, Form no. 10G-Application for grant of approval or continuance there of to institution or fund under section 80G (5) (VI) of the Income-Tax Act, 1961 -Annexure-D संलग्न है।

विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को आयकर अधिनियम--1961 की धारा 80जी (5)(6) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु सैक्शन 12 ए के अन्तर्गत आयकर विभाग में पंजीयन करवाने हेतु निम्नांनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी है :–

1. जिन विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का सहकारिता विभाग में पंजीयन नहीं हुआ है। तो उन विद्यालयों में तत्काल समिति का पंजीयन सहकारीता विभाग में करवाया जावे।
2. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को आयकर अधिनियम–1961 की धारा 80 जी (5) (6) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु सैक्शन 12 ए के अन्तर्गत सभी विद्यालय, विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा

विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का पंजीयन आयकर विभाग में करावें।

3. सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) की कार्यकारणी की बैठक आयोजित कर समिति के किसी एक पदाधिकारियों को निम्नानुसार कार्य करने हेतु अधिकृत किया जावे :–
   a. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) विकास कोष हेतु समिति का बैंक खाता खुलवाने हेतु।
   b. आयकर कार्यालय में पेन (PAN) कार्ड आवेदन प्रस्तुत करने हेतु।
   c. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को आयकर अधिनियम–1961 की धारा 80 जी (5) (6) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु सैक्शन 12 ए अन्तर्गत सभी विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का पंजीयन आयजकर विभाग में 80 जी में छूट बाबत आयकर (छूट), आयकर कार्यालय जयपुर में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु।

अतः आपके अधीन संचालित ऐसे राजकीय विद्यालय जिनमें अभी तक विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का पंजीयन नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल पंजीयक, सहकारी समितियां, सहकारिता विभाग में पंजीयन करवाने हेतु सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करें। इसके पश्चात् आयकर अधिनियम–1961 की धारा 80 जी एवं 12 ए के तहत छूट प्राप्त करने हेतु उपरोक्तानुसार सभी राजकीय विद्यालयों में कार्यवाही करवाना सुनिश्चित कर सूचना संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर को भिजवाते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे।

संलग्न :– यथोपरी

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Thank You

FOR MORE INFORMATION CONTACT TO

नाम	संपर्क न.:-
1. अविनाश चौधरी	9549373123